साउथ ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशंस वॉयस टु पार्लियामेंट चुनाव

साउथ ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशंस वॉयस टु पार्लियामेंट एबोरिजनल और/या टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों के लिए एक निर्वाचित सलाहकार निकाय है। यह संघीय नेशनल वॉयस रेफरेंडम से अलग है। एसए मतदाता सूची में शामिल केवल एबोरिजनल और/या टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी ही मतदान कर सकते हैं, किंतु ऐसा करना अनिवार्य नहीं है।

यह चुनाव राज्य चुनाव के समय ही हो रहा है। पात्रतायुक्त मतदाता किसी भी मतदान केंद्र पर, डाक से, या टेलीफोन समर्थन-प्राप्त मतदान के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएँ: **savoiceelection.sa.gov.au**.

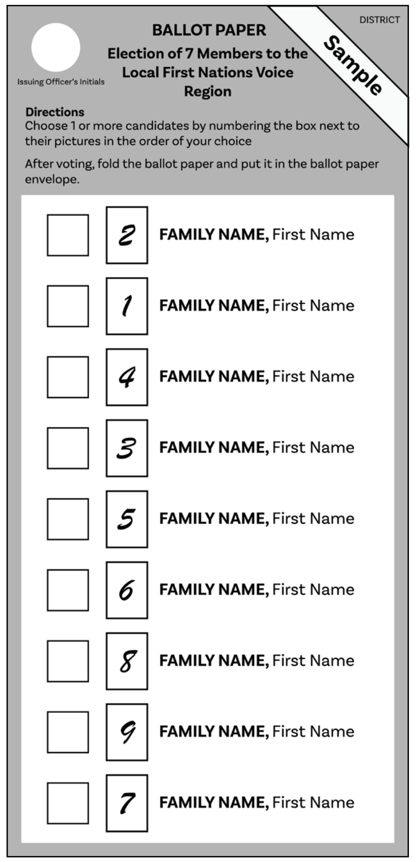

एसए फर्स्ट नेशंस वॉयस मतपत्र को पूरा भरने के तरीके के बारे में वीडियो के लिए स्कैन करें

मतदान केंद्र पर

वॉयस इलेक्शन पोस्टरों के लिए देखें। चुनावी कर्मचारी आपको मत जारी करने वाली एक अलग मेज पर जाने के लिए निर्देश देंगे।

अपना घोषणा लिफाफा पूरा भरें

आपको इस बात की पुष्टि करने के लिए एक घोषणा लिफाफा पूरा करना होगा कि आप एबोरिजनल और/या टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी हैं। फिर, आपको अपने क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों को दर्शाने वाला एक मतपत्र प्राप्त होगा।

मतदान करने के लिए:

1 अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार के सामने दिए गए चौखाने में संख्या 1 लिखें।

2 यदि आप इससे अधिक उम्मीदवार चुनना चाहते/ती हैं, तो अन्य चौखानों में 2, 3, 4... लिखना जारी रखें।

यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने उम्मीदवारों को चुनते/ती हैं, आपको हरेक चौखाने में संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है।

पूरा भर दिया, मुझे अब क्या करना चाहिए?

सभी तीन मतपत्रों, हरे, सफेद और सफेद हाशिए वाले कागजों को मतदान की मेज पर बैठे चुनाव अधिकारी के पास ले जाएं।

अन्य भाषाओं में आधिकारिक संदर्शिका

यह आधिकारिक संदर्शिका चुनाव आयोग एसए की वेबसाइट पर 21 अलग-अलग भाषाओं में अनुवादित की गई उपलब्ध है। किसी अन्य भाषा में और अधिक जानकारी के लिए निःशुल्क अनुवाद और दुभाषिया सेवा (टीआईएस) का उपयोग करें: **13 14 50 पर कॉल करें** और उनसे 1300 655 232 पर चुनाव आयोग एसए से आपका संपर्क कराने के लिए कहें।

Electoral Commission SOUTH AUSTRALIA

सूचना और समर्थन

वेबसाइट: ecsa.sa.gov.au | savoiceelection.sa.gov.au
टेलीफोन: 1300 655 232
टेलीफोन समर्थन-प्राप्त मतदान: 1300 951 579
ईमेल: ecsacomments@sa.gov.au
फीबैक और शिकायतें: ecsa.sa.gov.au/feedback-and-complaints

एम शेरी, चुनाव आयुक्त, साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड द्वारा प्राधिकृत

Electoral Commission SOUTH AUSTRALIA

Voting. **It's a** good **thing.**

आधिकारिक संदर्शिका

2026 राज्य चुनाव के लिए

इसमें साउथ ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशंस वॉयस टु पार्लियामेंट चुनाव के बारे में विवरण शामिल है, जोकि **21 मार्च 2026** को ही आयोजित हो रहा है।

निर्वाचन आयुक्त का संदेश

साउथ ऑस्ट्रेलियाई राज्य चुनाव आपके लिए अपनी बात सामने रखने और हमारे राज्य के भविष्य का आकार बनाने में सहायता देने का अवसर है। हरेक मत मायने रखता है और मतदान करना वास्तव में एक अच्छी बात है।

मतदान को आसान तथा और अधिक सुलभ बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि साउथ ऑस्ट्रेलिया में सभी को भाग लेने का अवसर मिल सके। यहां कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं:

- **समयपूर्व मतदान 14 मार्च 2026 से शुरू होगा** - अब आपको समयपूर्व मत देने के लिए किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं है।
- **पहले से कहीं अधिक समयपूर्व मतदान केंद्र।**
- **डाक से मतदान अधिक आसान है: atecsa.sa.gov.au** पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- **टेलीफोन समर्थन-प्राप्त मतदान** दृष्टिहीन, कम दृष्टि वाले या मोटर हानि से ग्रस्त लोगों के लिए उपलब्ध है।

साउथ ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशंस वॉयस टु पार्लियामेंट चुनाव भी उसी दिन आयोजित किया जाएगा; यह एसए मतसूची में पात्रतायुक्त एबोरिजनल और/या टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासियों के लिए वैकल्पिक है।

चुनाव के दौरान आपको इस बारे में झूठे या भ्रामक दावे दिखाई दे सकते हैं कि मतदान कैसे काम करता है। याद रखें, ईसीएसए आपका विश्वसनीय, आधिकारिक स्रोत है। सटीक जानकारी के लिए हमेशा ईसीएसए वेबसाइट देखें - **ecsa.sa.gov.au**.

और अंत में, याद रखें कि **राज्य चुनाव में मतदान करना अनिवार्य है।**

मिक शेरी
निर्वाचन आयुक्त

मतदान केंद्र पर क्या होता है?

मतदान केंद्र स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों जैसे जनस्थलों में स्थित होते हैं। ईसीएसए की वेबसाइट पर या अपने EasyVote कार्ड के पीछे अपना निकटतम मतदान केंद्र देखें। संकेतों से आपको मार्गदर्शन मिलेगा।

इंटरेक्टिव मैप पर अपना निकटतम मतदान केंद्र देखने के लिए स्कैन करें

उपयोगी सुझाव: लंच के बाद कतारें अक्सर छोटी होती हैं।

चुनाव कर्मचारी आपके नाम और पते की जांच करेंगे, फिर वे आपके मतपत्र आपको देंगे। यदि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के बाहर हैं, मूक मतदाता हैं, या एसए फर्स्ट नेशंस वॉयस टु पार्लियामेंट चुनाव में मतदान कर रहे/ही हैं, तो आपको मत जारी करने की एक अलग मेज पर जाने के लिए निर्देशित दिया जाएगा।

अपने मतपत्र प्राप्त करें

हरा मतपत्र: अपना हाउस ऑफ एसेंबली उम्मीदवार चुनें।

सफेद मतपत्र: लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए उम्मीदवार या समूह चुनें।

अपने मतपत्र भरें

उपलब्ध कराई गई पेंसिल का उपयोग करें या यदि आप चाहें तो, अपनी खुद की पेंसिल लाएं। यदि आपको सहायता चाहिए, तो किसी चुनाव अधिकारी से पूछें - आपका मत गुप्त रहता है।

और अधिक जानकारी पीछे की तरफ है →

अपने मत की गणना सुनिश्चित कैसे करें

हाउस ऑफ एसेंबली मतपत्र

अपने मत की गणना सुनिश्चित करने के लिए आपको अपनी पसंद के क्रम में हरेक चौखाने में संख्या लिखनी होगी।

1 अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार को इंगित करने के उनके सामने दिए गए चौखाने में संख्या **1** लिखें।

2 अपनी दूसरी पसंद के उम्मीदवार के सामने संख्या 2 लिखें।

3 अपनी तीसरी पसंद के उम्मीदवार के सामने संख्या 3 लिखें।

4 आगे लिखते रहें: 4, 5, 6 ... जब तक कि हरेक चौखाने में एक संख्या न लिख दी जाए।

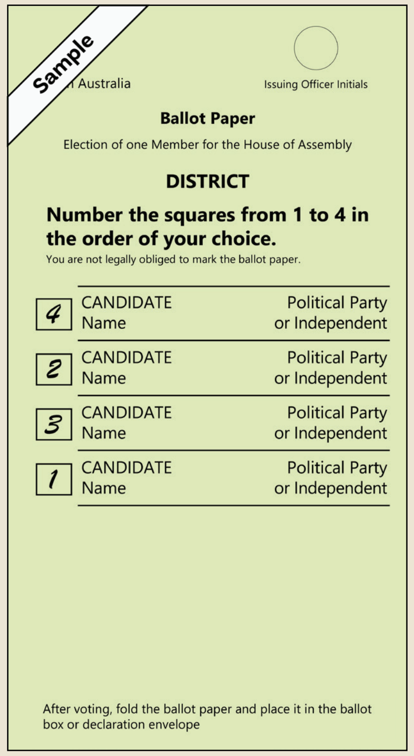

अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो चिंता न करें। गलती से गुजरते हुए एक रेखा बनाएं और उसके बगल में सही संख्या लिखें, या इसकी जगह पर दूसरे मतपत्र के लिए चुनाव अधिकारी से पूछें।

लेजिस्लेटिव काउंसिल का सफेद मतपत्र

आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के सफेद मतपत्र पर 2 तरीकों से मतदान कर सकते/ती हैं: मोटी काली रेखा के ऊपर या नीचे।

रेखा के ऊपर मतदान करना

यदि आप रेखा के ऊपर मतदान करते/ती हैं, तो अपनी पहली पसंद के समूह के सामने चौखाने में संख्या '1' लिखें। आप जितने चाहें, उतने समूहों को (2, 3, 4 आदि) संख्याएं देना जारी रखने का चयन कर सकते/ती हैं। रेखा के नीचे कोई संख्या न लिखें।

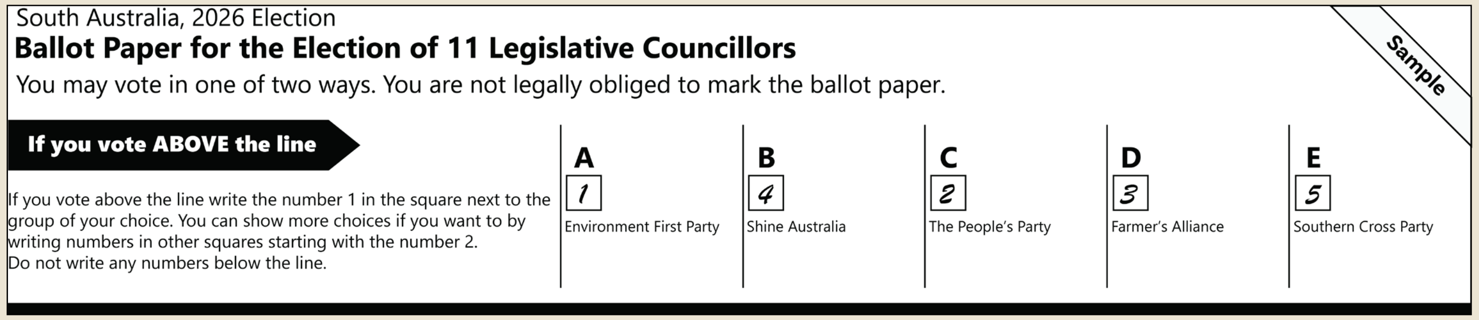

रेखा के नीचे मतदान करना

यदि आप रेखा के नीचे मतदान करने का विकल्प चुनते/ती हैं, तो आपको कम से कम 12 उम्मीदवारों को संख्या देनी होगी। अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार के सामने चौखाने में संख्या '1' लिखें, अपनी दूसरी पसंद के आगे '2' लिखें, और कम से कम 12 उम्मीदवारों को संख्याएं देने तक जारी रखें। रेखा के ऊपर कुछ न लिखें।

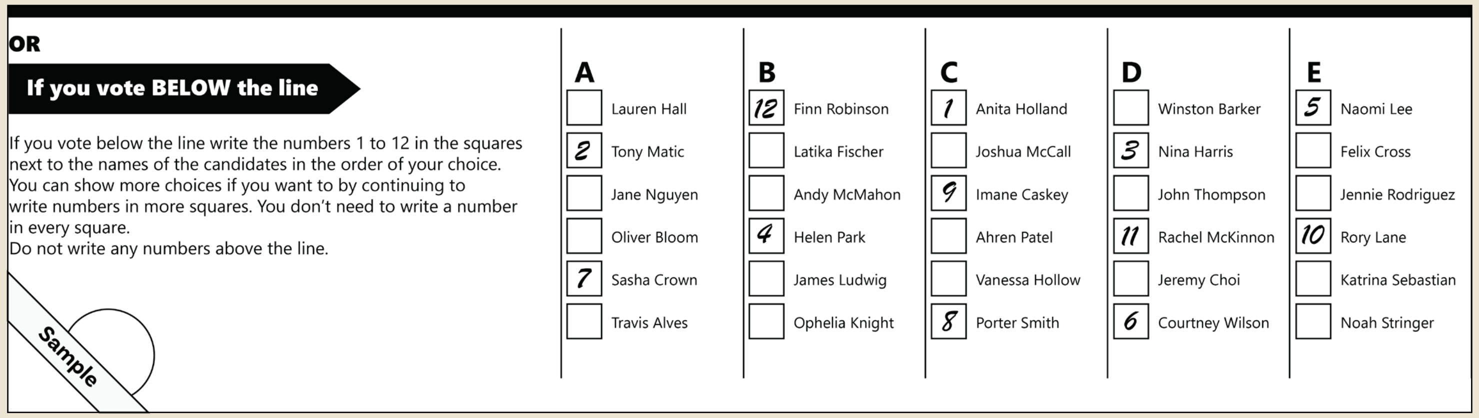

मतदान पूरा करने के बाद

एक बार जब आप अपने मतपत्रों को पूरा कर लें, तो उन्हें मोड़ें और उपलब्ध मतपेटियों में डाल दें।

यदि आपने अपनी नामांकित डिस्ट्रिक्ट के बाहर मतदान किया है या यदि आप एक मूक मतदाता हैं, तो चुनाव अधिकारी को अपने मतपत्र वापिस दें, जो मतपेटी में डालने से पहले उन्हें एक लिफाफे में रखने में आपकी सहायता करेगा।

चुनाव की प्रमुख तिथियां और समय

डाक से मतदान आवेदन शुरू:	सोमवार 2 फरवरी 2026
मतदाता सूची बंद:	शुक्रवार 27 फरवरी 2026 | शाम 5:00बजे
मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजना:	मंगलवार 10 मार्च 2026 से
समयपूर्व मतदान अवधि: शनिवार 14 मार्च - शुक्रवार 20 मार्च	शनिवार 14 मार्च - शुक्रवार 20 मार्च | सुबह 8:00बजे - शाम 6:00बजे रविवार 15 मार्च | बंद गुरुवार 19 मार्च | सुबह 8:00बजे - रात 8:00बजे
टेलीफोन समर्थन-प्राप्त मतदान: शनिवार 14 मार्च - शनिवार 21 मार्च	शनिवार 14 मार्च - शनिवार 21 मार्च | सुबह 8:00बजे - शाम 6:00बजे रविवार 15 मार्च | बंद गुरुवार 19 मार्च | सुबह 8:00बजे - रात 8:00बजे
चुनाव का दिन:	शनिवार 21 मार्च 2026 | सुबह 8:00बजे - शाम 6:00बजे

अपने मतदान विकल्पों की योजना बनाएं

आप किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते/ती हैं

मतदान किसे करना है?

18+ आयु के सभी साउथ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए नामांकन और राज्य चुनावों में मतदान करना अनिवार्य है।

क्या आप चुनाव के दिन (21 मार्च 2026) को मतदान नहीं कर सकते/ती हैं?

समयपूर्व मतदान करें या डाक से मतदान के लिए आवेदन करें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं कर सकते/ती हैं, तो आप डाक से मतदान के लिए आवेदन कर सकते/ती हैं या टेलीफोन समर्थन-प्राप्त मतदान का उपयोग करने के पात्र हो सकते/ती हैं।

मोबाइल मतदान सेवाएं

ईसीएसए अधिकारी मतदान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वृद्ध देखभाल सुविधाओं और कुछ अस्पतालों में जाएंगे। दूर-दराज के क्षेत्रों में भी मोबाइल मतदान उपलब्ध होगा, जिसमें एबोरिजनल समुदाय शामिल हैं।

मैं किस डिस्ट्रिक्ट में हूँ?

यह संभव है कि डिस्ट्रिक्ट बदल गई हों। अपनी डिस्ट्रिक्ट की जाँच करें: **ecsa.sa.gov.au**.

क्या आप किसी दूसरे राज्य या विदेश में हैं?

हरेक राज्य या राज्य-क्षेत्र, राजधानी शहर और विदेशों में चयनित स्थानों (हांगकांग, लंदन, वेलिंगटन) में समयपूर्व मतदान केंद्र खुले रहेंगे।

डाक से मतदान कैसे करें

डाक से मत के लिए **ecsa.sa.gov.au** पर आवेदन करें या यदि आपके पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, तो 1300 655 232 पर फोन करें।

किसी दूसरे राज्य और विदेश में मौजूद मतदाताओं के लिए आवेदन 13 मार्च को शाम 5:00बजे और एसए में मौजूद मतदाताओं के लिए 17 मार्च को शाम 5:00बजे बंद हो जाएंगे।

उम्मीदवारों की पुष्टि होने के बाद डाक पैकों को मेल किया जाता है। राजनीतिक दल डाक से मत के लिए आवेदन वितरित नहीं कर सकते हैं।

टेलीफोन एसिस्टेड वोटिंग (टीएवी)

दृष्टिहीन, कम दृष्टि वाले या मोटर हानि से ग्रस्त लोगों के लिए उपलब्ध है। सहायता के लिए 1300 951 579 पर कॉल करें।

चुनावों के दौरान भ्रामक जानकारी

चुनावों के दौरान आपके सामने ऑनलाइन अविश्वसनीय या जानबूझकर पेश कई गई गलत जानकारी आ सकती है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए, चुनाव से संबंधित किसी भी जानकारी के स्रोत की हमेशा जांच करें और इसका विश्वसनीय, अप-टु-डेट और सुरक्षित होना सुनिश्चित करें।

विचार करने के लिए समय निकालें

स्रोत की जाँच करें: क्या यह एक भरोसेमंद मीडिया आउटलेट या आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट है?

तिथि की जांच करें: पुरानी जानकारी को नया दिखाने के लिए इसे साझा किया जा सकता है।

यदि अनिश्चित हों, तो सत्यापन करें: एआई से झूठी या भ्रामक सामग्री बनाना आसान है।

एसए चुनावों के बारे में आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी के लिए ईसीएसए की वेबसाइट पर जाएं: **ecsa.sa.gov.au.**

State Election
MARCH 21

ecsa.sa.gov.au →